उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 12 /VII-1/182–ख/2010
देहरादून : दिनांकः 06 ~~दिसम्बर, 2010~~ जनवरी 2011

कार्यालय ज्ञाप

जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम भदौरा में 35.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनिज सोपस्टोन का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक श्री गोकुल प्रसाद जोशी पुत्र श्री पी0डी0 जोशी, निवासी ग्राम बुरूसिया (कमेड़ी) पोस्ट मोस्टगांव, जनपद बागेश्वर ने दिनांक 29.11.2003 को जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

जिलाधिकारी, बागेश्वर ने अपने पत्र संख्या 525/तीस–02/2003–04, दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 जो आवेदक श्री गोकुल प्रसाद जोशी को सम्बोधित एवं शासन को पृष्ठांकित है द्वारा आवेदक से उनके आवेदन पत्र दिनांक 29.11.2003 में पाई गई कमियों के निराकरण/सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नि यम–12(1) में दी गयी व्यस्था के तहत सूचित किया गया कि इस पत्र/नोटिस प्राप्ति के ठीक 30 दिन के अन्दर उक्त कमियों का निराकरण व अपेक्षित अभिलेख चार प्रतियों में (मूल उद्धरण सहित) जिला कार्यालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अन्यथा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कमियों का निराकरण न किये जाने व अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में आपके आवेदन पत्र को अपूर्ण मानते हुए उसके निस्तारण हेतु प्रकरण शासन/निदेशालय को संदर्भित कर दिया जायेगा। पुनः जिलाधिकारी, बागेश्वर ने अपने पत्र संख्या 144/तीस–01/2003–04, दिनांक 26.10.2004 द्वारा जिला कार्यालय के पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 द्वारा समयावधि के अन्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने आवेदक को 15 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी, बागेश्वर ने अपने पत्र संख्या 580/तीस–1/2003–04/2005, दिनांक 31.05.2005 द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र में पाई गई कमियों का निराकरण आवेदक द्वारा नहीं किये जाने के कारण आवेदन पत्र को अपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 63A(B) के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने के 09 माह के अन्तर्गत निस्तारण किये जाने का प्राविधान है।

आवेदक श्री गोकुल प्रसाद जोशी को खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम–12(1) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्याः 2473/VII-1/182–ख/2010, दिनांक 09 दिसम्बर, 2010 द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 को सुनवाई में शासन के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उक्त सुनवाई में जिलाधिकारी, बागेश्वर/उनके प्रतिनिधि तथा आवेदक/उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए।

अतः आवेदक का आवेदन पत्र खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम–63 A (B) को दृष्टिगत रखते हुएं आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पाई गई कमियों के निराकरण हेतु कोई रूचि न लिये जाने के कारण उनके प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 29.11.2003 को एतद्द्वारा अस्वीकृत/निरस्त किया जाता है।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 12 (1)/VII-1/182–ख/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या 1113मु0ख0/33/बागे0/भू0खनि0इ0/2010–11, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 के क्रम में।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्री गोकुल प्रसाद जोशी पुत्र श्री पी0डी0 जोशी, निवासी ग्राम बुरूसिया (कमेड़ी) पोस्ट मोस्टगांव, जनपद बागेश्वर।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।